रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 425] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 10, 1973/अग्रहायण 19, 1895

No. 425] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 10, 1973/AGRAHAYANA 19, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

INCOME-TAX ACT, 1961

New Delhi, the 10th December 1973

S.O. 766(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (11) of section 132 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in supersession of Notification No. S.O. 1179, dated the 8th April, 1965, the Central Government hereby notifies Shri B. K. Bagchi, Joint Secretary in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) as the authority for the purposes of that sub-section.

[No. 513/F. No. 287/166/73-IT(Inv.)]

J. RAMA IYER, Dy. Secy.

वित्त मन्त्रालय

राजस्व और बीमा विभाग

अधिसूचना

आय-कर अधिनियम, 1961

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1973

का० आ० 766 (अ).—आयकर जांच-आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 132 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 8 अप्रैल, 1965 की अधिसूचना संख्या का० आ० 1179 को अष्ठित करते हुए, केन्द्रीय सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) में संयुक्त सचिव, श्री बी० के० बागची को उक्त उप-धारा के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी के रूप मे इसके द्वारा अधिसूचित करती है।

[सं० 513/फा०सं० 287/166/73-आयकर जांच]

जे० रामा अय्यर, उप-सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973